

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स एकलव्य स्टोन एवं माईन्स प्रा० लि०, जिला- लखीसराय द्वारा किउल नदी स्थित मौजा- नगरदार, रेत ब्लॉक संख्या- 07 (कुल क्षेत्रफल- 24.6 हेक्टेयर), प्रखंड- चानन, जिला- लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 24.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे सामुदायिक भवन, नगरदार, ग्राम पंचायत- इटौन, प्रखंड+थाना- चानन, जिला- लखीसराय के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० पत्र संख्या- SIA/1(a)/ 2281/2023, दिनांक 03.02.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "द टाइम्स ऑफ इंडिया", "हिन्दुस्तान टाइम्स", "दैनिक भास्कर" तथा "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिनांक 21.04.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा- नगरदार, रेत ब्लॉक संख्या- 07 (कुल क्षेत्रफल- 24.6 हेक्टेयर), प्रखंड- चानन, जिला- लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा मेसर्स एकलव्य स्टोन एवं माईन्स प्रा० लि० को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (LOI) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या-07 में प्रतिवर्ष 3,05,532 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹3.35 करोड़ (निलामी, लागत सहित) अनुमानित है।

M

5

2. बालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-


क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री जितेन्द्र कुमार, ग्राम- नगरदार, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा स्थानीय AQI एवं Noise level के संबंध में जानकारी मांगी गई। तथा दुसरा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी मांगी गई।	पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि PM2.5 की न्यूनतम और अधिकतम मान क्रमशः 24.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा 51.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा 10 की न्यूनतम और अधिकतम मान क्रमशः 51.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा 95.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ पाया गया है। Noise level का परिमाण 24.5 dB पाया गया। जो परिवेशीय वायु गुणवत्ता के अधीन है। खनन योजना के क्रियान्वयन के दौरान होने वाली प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2.	श्री राम चरण यादव, पिता- स्व० सरदार यादव, ग्राम- नगरदार, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा सुझाव दिया गया कि सड़क का दोहरीकरण कराया जाए।	बालू ढुलाई में उपयोग की जाने वाली गाड़ियों के लिए वैकल्पिक रास्ते का उपयोग किया जाएगा।
3.	श्री प्रवेश कुमार यादव, ग्राम- नगरदार, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा नदी के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी की जानकारी मांगी गई।	नदी के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी 5 मीटर रखी जाएगी।
4.	श्री डब्लू कुमार, पिता- श्री उपेन्द्र यादव, ग्राम- नगरदार, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा युवाओं के लिए खेलने का मैदान तथा Open Gym की व्यवस्था की जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कॉरपोरेट दायित्व के तहत ग्रामीणों के सुझाए गए जमीन पर Open Gym की व्यवस्था की जाएगी।
5.	श्री ब्रह्म देव पंडित, सीताराम यादव, ग्राम- नगरदार, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा सुझाव दिया गया कि सिंचाई की लिए बोरिंग की व्यवस्था कराई जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कॉरपोरेट दायित्व के तहत सिंचाई के लिए ट्यूब वेल की व्यवस्था की जाएगी।
6.	श्री दिनेश कुमार, ग्राम- भलूई, ग्राम- नगरदार, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा सुझाव दिया गया कि गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीणों के परामर्श से लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी।
7.	श्री आशा देवी, ग्राम- भलूई, ग्राम- नगरदार, प्रखण्ड- चानन, लखीसराय के द्वारा पूछा गया कि महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासित किया गया कि महिलाओं के लिए व्यवसायिक ट्रेनिंग कराया जाएगा।

५५

५५

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतु वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।














लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
बेगूसराय।


अपर समाहर्ता
लखीसराय।

उपस्थिति सूची

सर्वश्री एकलव्य स्टोन एवं माईन्स प्रा० लि० के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत किउल नदी स्थित मौजा- नगरदार, रेत ब्लॉक संख्या- 07 (कुल क्षेत्रफल- 24.6 हेक्टेयर), प्रखंड- चानन, जिला- लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व सामुदायिक भवन, नगरदार, ग्राम पंचायत- इटौन, प्रखंड+थाना- चानन, जिला- लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 24.05.2023 (बुधवार) को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्व:हस्ताक्षरित उपस्थिति-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	सुधांशु शर्मा	ADN 4 AC, Lalhiwan	 24/5/23
2	एल.जी.एम. संजीव पराधिकारी	विठ्ठलपुर नि. पंच. बेगुलपुर	
3	रजनीश कुमार (MDO, Lalhiwan)	रजनीश निवासी पदा; लखी.	 24/05/2023
4	महेम शायक	Carriers of Akhoyan	
5	नीतीश कुमार पर्या. सहायक	Patna	
6	परशुराम शर्मा	श्री सुधीर इटौन	
7	पद्मेश कुमार	नगरदार	
8	Sulman Khan	नगरदार	
9	बन्धु	मलिय	
10	अशोक	मलिय	
11	महेम शायक	मलिय	
12	सिद्धेश कुमार	नगरदार	
13	शहीर	नगरदार	

14	परमेश कुमर	नगरदा	Chhater Kumar
15	मंगल कुमर	नमन	Mangal Kumar
16	परमेश कुमर	मंगल	Perman Kumar
17	दिवेश	देव	Divesh
18	सुनील	नगरदा	Sunil
19	आशा देवी	नमन	Ashadevi
20	ब्रह्मदेव सादव	देव	Brahmdev
21	राजेश देवी	नमन	Rajeshdevi
22	वीर कुमर	नगरदा	Vir Kumar
23	सुनील सुनील	नगरदा	Sunil Kumar
24	अनिल कुमर	नमन	Anil Kumar
25	Sunay Kumar	देव	Sunay Kumar
26	देव कुमर	नगरदा	Dev Kumar
27	अनिल कुमर	नमन	Anil Kumar
28	अरुण साव	देव	Arun Saw
29	सोहन कुमर	नमन	Sohan Kumar
30	रामेश कुमर	नगरदा	Ramesh Kumar
31	अनिल कुमर	नगरदा	Anil Kumar

32	बबलू कुमार	नगरपालिका	Bablu Kumar
33	कमिना कुमारी	हेरहर	Amika K.
34	अशुभ पंडित	नगरपालिका	अशुभ पंडित
35	सुशीला यादव	नगरपालिका	सुशीला यादव
36	प्रमोद यादव	नगरपालिका	Pranod Yadav
37	विनोद राम	नगरपालिका	विनोदराम रामपुर
38	जयराज	नगरपालिका	Jai Ram
39	विजेश यादव	नगरपालिका	Vinay Yadav
40	अशुभ कुमारी	नगरपालिका	अशुभ कुमारी
41	जितेश कुमारी	नगरपालिका	Jitesh K.
42	महेश्वर पंडित	नगरपालिका	महेश्वर पंडित
43	नवल यादव	नगरपालिका	नवल यादव
44	विक्रम	नगरपालिका	Vikram
45	विकास	नगरपालिका	Vikas
46	महेन्द्र यादव	नगरपालिका	महेन्द्र यादव
47	पवन यादव	नगरपालिका	पवन यादव
48	साधुशरण महतो	नगरपालिका	साधुशरण महतो
49	मिहेश्वर पंडित	नगरपालिका	मिहेश्वर पंडित

50	रामचरण भादव	जगदगार	रामचरण भादव
51	रामचरण भादव	जगदगार	रामचरण भादव
52	विदेशी पंडित	जगदगार	विदेशी पंडित
53	ब्रह्मदेव पंडित	मलिया	ब्रह्मदेव पंडित
54	मोदक पंडित	मलिया	मोदक पंडित
55	मिथलेश कुंठ	॥	मिथलेश कुंठ
56	गोतम कुमार	॥	गोतम कुमार
57	गिरीश कुमार	नैरहार	गिरीश कुमार
58	रुकुमणी देवी	नैरहार	रुकुमणी देवी
59	जालाश कुमारी	जगदगार	जालाश कुमारी
60	गायत्री देवी	॥	गायत्री देवी
61	सती देवी	॥	सती देवी
62	स्वप्ना देवी	मलिया	स्वप्ना देवी
63	रामवती देवी	मलिया	रामवती देवी
64	विश्वनाथ भादव	मलिया	विश्वनाथ भादव
65	राजेश भादव	जगदगार	राजेश भादव
66	लक्ष्मण भादव	जगदगार	लक्ष्मण भादव
67	दोहिन कुमार	मलिया	दोहिन कुमार

68	सरिता देवी	जटाटवा	सरिता देवी
69	लोनी कुमार	जटाटवा	लोनी कुमारी
70	रुपा देवी	जटाटवा	रुपा देवी
71	मंगीज भादव	मलिया	मंगीज भादव
72	मुकेश कुमार	मलिया	मुकेश कुमार
73	लोनी भादव	तेरहर	लोनी कुमार
74	कामेश कुंठ	जटाटवा	Kamesh
75	पवन भादव	जटाटवा	Pawan
76	राहुल कुमार	मलिया	Rahul Kumar
77	लतिश कुमार	तेरहर	Latisa Kumar
78	कुन्दन कुमार		कुन्दन कुमार
79	राजेश कुमार	मलिया	Rajesh Kumar
80	विवेक कुमार	जटाटवा	Vivek
81	अनिल कुमार	जटाटवा	Anil Kumar
82	सुनील कुमार	मलिया	Sunil Kumar
83	शिवक भादव	मलिया	शिवक भादव
84	श्याम कुमार	मलिया	Shyam Kumar
85	रविन्द्र कुमार	जटाटवा	Ravindra Kumar